रुपये की इक्विटी पूंजी है। बी० ओ० सी० के 14 करोड़ रुपये के इक्विटी शेअर्स हैं फिर क्या कारण है कि राष्ट्र के हित में इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है ? इस कम्पनी ने काफी मुनाफा भी कमा लिया है। क्या यह सही है कि कम्पनी 40 करोड़ रुपये के कम्पेनसेशन की मांग कर रही है ? क्या इसी कारण से इसके राष्ट्रीयकरण में देरी हो रही है ?

श्री दलबीर सिंह : हम इसमें कार्यवाही तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सारा मामला विचाराधीन है।

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: When ESSO and other foreign oil companies were nationalised, one criterion was fixed and they were taken over. May I know from the hon. Minister whether, in the case of BOC and Assam Oil Company which, for long years, have taken out whatever proceeds are possible from this country, and different criterion is being adopted because of which the matter is being delayed or whether the same criterion which was applied to ESSO and others is being applied here also.

SHRI DALBIR SINGH: It will become possible in the near future.

MR. SPEAKER: His question is whether there is any deviation from that concept.

SHRI DALBIR SINGH: No deviation.

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी को लेने में अब तक क्या हिच है ? क्या यह कम्पनी आपसे 40 करोड़ रुपये की मांग कर रही है यह बताइये ? यदि इतना नहीं मांग रही है तो कितनी राशि मांग रह है ?

श्री दलबीर सिंह : वे कितना मांग रहे हैं, उस पर निर्णय नहीं होगा।

श्री रामावतार शास्त्री वे कितना मांग रहे हैं यह तो हमें बता दीजिए, यह जानने का हमारा हक है।

श्री दलबीर सिंह : मांगने को तो बी० ओ० सी० कुछ भी मांग सकती है।

Views of Chief Justice of Indian Administration of Justice

*215. SHRI CHITTA MAHATA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken into consideration the views expressed by the Chief Justice of India for decentralisation of the administration of justice by setting up of "Naya Panchayats" in the country;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) if not, the reason therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) and (b). The system of Nyaya Panchayats was considered by the Bhagwati Committee in Chapter VI of their report on "National Juridicare Equal Justice—Social Justice" submitted in August, 1977. This subject had also been considered in the Report of the Committee on Panchayat Raj Institutions submitted in August, 1978. A model bill is being drafted in the Ministry of Rural Reconstruction commending to State Governments that the existing State Legislation may be brought in line with the model legislation and States which do not have legislation on the subject may undertake legislation on the lines of the model bill.

(c) Does not arise.

श्री चित महाटा : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि न्याय-पंचायत का माडल बिल का ड्राफ्ट कब शुरु हुआ और कब तक वह कामयाब होगा ?

श्री वी० शिवराज पाटिल : अध्यक्ष, महोदय, यह जो न्याय-पंचायत का ड्राफ्ट है, असल में यह सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है और स्टेटस को ही बनाना है। मगर न्याय-पंचायत के संबंध में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहां पर एक माडल बनाने की कोशिश की गई है और माडल स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस माडल के आधार पर न्याय-पंचायत के लिए कानून बनाएं, इस प्रकार से बताया गया है।

श्री चित्त महाटा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य है कि दिन प्रतिदिन मुकदमों की संख्या अदालतों में बढ़ती जा रही है और सालों से अदालतों में मुकदमें पड़े हुए हैं। किसान और गरीब जो कि देहातों में रहते हैं, न्याय से वंचित हो रहे हैं। इसको एक्सपीडाइट करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। पश्चिम बंगाल में ग्राम लेवल से जिला परिषद तक पंचायत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। वहां पर न्याय-पंचायत का इप्लीमेंट करने का सरकार कोई प्रावधान करेगी या नहीं ?

श्री वी० शिवराज पाटिल : अध्यक्ष महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कोर्ट में जो केस जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, यह संख्या किस प्रकार से कम की जाए, इसके लिए सरकार हर स्तर पर सोच-विचार कर रही है। इसके लिए प्रयत्न जारी हैं। एक सूचना यह है कि जजेज की संख्या बढ़ाई जाएं। दूसरी सूचना यह है कि जो प्रोसीजर आफ लाज है, उसके अंदर दुरुस्ती की जाए। दूसरी सूचना है कि जो अपील्स हैं, फर्स्ट और सेकण्ड अपील, तो सेकण्ड अपील पर ही कुछ केसेस रखे जाएं। इस प्रकार की अनेक सूचनाएं हैं। न्याय पंचायत के बारे में भी विचार किया जाए। इस प्रकार की भी सूचना है। लेकिन सब को ध्यान में रखते हुए ही यह किया जा सकता है। सारे देश में न्याय पंचायत की कल्पना सब लोगों को मान्य है या नहीं, इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है और इस ओर कदम उठाना चाहती है तो उसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Malpractice in Supply of Gas Cylinders

*208. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints that the seals of Gas Cylinders suppied to consumers are broken and they are underweight;

(b) if so, who is responsible for this;

(c) what are the checks exercised by Indian Oil Corporation to guard against malpractice;

(d) whether consumers suffer for erratic supply system of the IOC; and

(e) if so, what measures Government propose in the matter so that consumers get gas supply in order?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir. The Complaint Cell of the Ministry has received 11 such complaints during the period January to October 1980.

(b) The complaints about the seals not being intact at the time of delivery is reported to occur due to multiple handling of cylinders during their passage from bottling plants to agents' godowns and then to customers' premises. The sealing tapes sometimes get broken due to exposure to varying weather conditions also. Whenever